

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट भादरा, हनुमानगढ
पीठारसीन अधिकारी - श्री दूदाराग हुड्डा आर ए एस


क्रमांक - दुरुस्ती / 2024 / 179

दिनांक - 11/03/24

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी हल्का करनपुरा व मू.अमिलेख निरीक्षक भादरा की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार/तहसीलदार भादरा की अनुज्ञा के आधार पर राजस्थान मू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में करनपुरा, करनपुरा बाराणी 269/51, 447/83 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम/चक	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	3 केआरपी	269/51.	ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल	ओमप्रकाश ढाका पुत्र सोहनलाल
2.	करनपुरा बाराणी	447/83		




पीठारसीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ

दिनांक :- 11/03/24

क्रमांक:- सम/2024/180-181

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ

- तहसीलदार भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एवं बैंक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
- प्रार्थी को सूचनार्थ।


पीठारसीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भादरा  हनुमानगढ